



की राशि रुपये 4,80,400/- व अ-राजस्व राशि रुपये 48,040/- प्रतिवर्ष नियत  
 किया जाता है। (अ-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 के  
 नियम 16 अंतर्गत राजस्व आशिल्व में संशोधन किये जाने हेतु तहसीलदार  
 को पत्र जारी है। तहसीलदार, महाराजगंज तीन दिवस में राजस्व आशिल्व  
 संशोधन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे पश्चात प्रकरण दायित्व रेकॉर्ड है।  
 अगुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
 महाराजगंज क्षेत्र, जिला सुन्दर

*[Handwritten signature]*

2  
 5/1/19  
 5/1/19  
 5/1/19  
 0227/19/19

*[Handwritten signature]*

0227/19/19  
 5/1/19  
 5/1/19

SLV  
183

राजस्व आदेश पत्र अनुवृति पत्र  
अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र

से साथे रियल विल्ट

प्रकरण क्रमांक: 0026/अ-2/2018-19

1	2	3
28/03/2019	<p>-प्रकरण प्रस्तुत। -आवेदकगण मेसर्स सार्थक रियल विल्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चंद्रसिंह मेहता, श्री प्रेमनारायण पिता श्री धुल जी अवस्थी, श्री चेतन पिता श्री प्रेमनारायण अवस्थी पता 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर द्वारा ग्राम टिगरया बादशाह स्थित भूमि सर्वे क्र. 57/1/3, 119/2, 57/1/4, 118 एवं 119/3 कुल रकबा 2.922 हेक्टर भूमि में से 0.520 हेक्टेयर भूमि मास्टर प्लान रोड के तहत होने से शेष रकबा 2.402 हेक्टेयर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्निर्धारण (व्यपवर्तन) हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (भू-राजस्व निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के संलग्न आवेदक द्वारा वर्ष 2018-19 की खसरा-बी1 की प्रति, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी अनुज्ञा क्र. 6774/INDLP-2899/17/न.ग्र.नि./2018 दिनांक 02/08/2018 एवं नक्शे की प्रति, पटवारी नक्शे, ऋणपुस्तिका, आधार कार्ड तथा पंजीकृत कॉलोनी विकास अनुबंध लेख क्रमांक MP179152016A1019547 दिनांक 11/01/2016 की प्रति प्रस्तुत की है। ट्रेजरी चालान क्रमांक 00292459 दिनांक 19/12/2018 से जमा राशि रु. 48,040/- एवं चालान क्रमांक 00292458 दिनांक 19/12/2018 से जमा राशि रु. 4,80,400/- की प्रति प्रस्तुत की गई है।</p> <p>-प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदित भूमि पर मौके पर मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित होने से खसरा सर्वे क्र. 118 रकबा 0.170 है. में से 0.170 है., 119/2 रकबा 0.713 है. में से 0.214 है. व 119/3 रकबा 0.581 है. में से 0.136 है. रकबा कम कर शेष भूमि सर्वे क्र 57/1/3 रकबा 0.748 है. व 57/1/4 रकबा 0.710 है. है, इस प्रकार मास्टर प्लान रोड से प्रभावित भूमि के रकबे को कुल रकबा 2.922 है. में से कमकर शेष रकबा 2.402 (2.922-0.170-0.214-0.136 = 2.402) हेक्टेयर भूमि का कुल व्यपवर्तित क्षेत्रफल 24,020 वर्गमीटर का है। आवेदित भूमि पर प्रीमियम के लिये लागू दर रु. 20/- प्रति वर्गमीटर तथा देय पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की दर रु. 2.00/- प्रति वर्गमीटर है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रीमियम व पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि वर्ष 2018-19 हेतु जमा की गई है। इस प्रकार आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु भू-राजस्व पुनर्निर्धारण करने में कोई अवरोध नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 के नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन की सूचना स्वीकार की जाती है तथा आवेदित भूमि पर प्रीमियम</p>	

